न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व वाद पत्र सं0 05/2014

1. श्रीमती रहमती पुत्री श्री बाबू उम्र 35 वर्ष जाति चीता निवासी हरराजपुरा, तहसील मसूदा जिला अजमेर।
2. श्रीमती रूकसाना पुत्री स्व0 नैना आयु 22 वर्ष जाति चीता निवासी हरराजपुरा, तहसील मसूदा जिला अजमेर।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमान् तहसीलदार साहब, तहसील कार्यालय मसूदा जिला अजमेर।

—— अप्रार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

:— निर्णय :— दिनांक 16.06.2016

अपिलार्थीगण ने इस अपील मीमो के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में सारांशतः निवेदन किया है कि अपील प्रस्तुत करने में उन्होंने जानबूझ कर देरी नहीं की है। अपिलार्थिया रहमती के पिता स्व0 बाबू का निधन दिनांक 27.03.1993 को तथा रूकसाना के पिता नैना का निधन दिनांक 01.05.1995 को हो चुका था। बावजूद पटवारी एवं सरपंच ने उनका नाम नामान्तकरण सं0 296 दिनांक 10.03.1997 में दर्ज नहीं किया गया है अतः अपील करनी पडी है। देरी के लिए क्षमा चाहती है।

अपील मीमो में अपिलार्थीगण ने निवेदन किया है कि मौजा हरराजपुरा भू. अ. नि. खरवा तहसील ब्यावर की जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 के खाता सं0 268 के कुल खसरा किता 13 रकबा 15—13—00 बीघा में अपिलार्थिया रहमती के पिता स्व0 बाबू का निधन दिनांक 27.03.1993 को तथा अपिलार्थिया रूकसाना के पिता नैना का निधन दिनांक 01.05.1995 को हो जाने के बावजूद नामान्तकरण सं0 296 दिनांक 10.03.1997 में उनके नाम का इन्द्राज नहीं किया गया है। इस बाबत् तहसीलदार मसूदा से शिकायत करने पर अपील की सलाह दी है अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.03.1997 को निरस्त कर पुनः संशोधित नामान्तकरण अपिलार्थी सहित दर्ज करने के आदेश प्रदान करावें।

आज पत्रावली न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प हरराजपुरा पर पेश हुई। अपिलार्थियागण उपस्थित। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपिलार्थियागण क्रमशः रहमती बाबू की पुत्री है तथा रूकसाना, स्व0 नैना जिसका नाम अपिलाधीन नामान्तकरण 296 में दर्ज किया गया है उसकी पुत्री है। यह नामान्तकरण मृतक नैना के नाम सहवन से दर्ज होना पाया जाता है।

अपिलार्थियागण में रहमती स्व0 बाबू की पुत्री है तथा रूकसाना स्व0 नैना की पुत्री है उनके द्वारा देरी से लाई गई अपील की अवधि क्षम्य योग्य है अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 स्वीकार किया जाता है। अपील मीमो भी अभिलेख की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा नामान्तकरण सं0 296 दिनांक 10.03.1997 के हवाले पारित स्वीकृति आदेश निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण तहसीलदार मसूदा को प्रतिप्रेषित कर लेख है कि वह इसमें नियमानुसार जांच कर नवीन नामान्तकरण पर न्याय निर्णय पारित करावें।

निर्णय आज दिनांक 16.06.2016 को "न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम मुकाम हरराजपुरा पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.04 15:55:20 IST
Reason: SelfAttested